कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 15(2)2023 गो.प्र./प्रमुवसं–08070/ दिनांक :

–:: कार्यालय आदेश ::–

राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम, 1999 एवं कार्मिक (क–ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना एफ 3(8)डीओपी/ए–II/2013 पार्ट–II दिनांक 17.03.2023 के प्रावधानान्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 14.07.2023 की अनुशंषा के आधार पर निम्न लोक सेवक को वर्ष 2023–24 की रिक्तियों के विरूद्व निजी सचिव से वरिष्ठ निजी सचिव के पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के पे–मैट्रिक्स के पे–लेवल एल–16 (6600) में वरिष्ठता–सह–योग्यता के आधार पर एतद्द्वारा पदोन्नत किया जाता है:–

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम (सर्व श्री)	पिता का नाम (सर्व श्री)	वर्ग	पदोन्नति प्रभावी होने की तिथि
1	मोहन लाल सैनी	गोरधन लाल	–	01.03.2024

उपरोक्त कार्यरत लोकसेवक को पदोन्नति का वास्तविक नकद लाभ कार्यग्रहण करने की तिथि से देय होगा एवं उपरोक्त का पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किया जावेगा। उपरोक्त लोकसेवक कार्य–ग्रहण की रिपोर्ट इस कार्यालय को भिजवायेंगे।

कार्मिक (क–ग्रुप–2) विभाग राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ.7(1)कार्मिक/क–2/95/पार्ट जयपुर, दिनांक 16.03.2023 के अनुसार यदि किसी कार्मिक के दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतानें हो तो ऐसे कार्मिक तीन पश्चात्वर्ती वर्षो के लिए वार्षिक वेतनवृद्धि हेतु, काल्पनिक रूप से हकदार होगा/होगी और ऐसे तीन वर्षो के पश्चात् उसे ऐसी वेतनवृद्वियों के वास्तविक फायदे अनुज्ञेय होंगे, तथापि, ऐसी काल्पनिक वेतनवृद्वियों के लिए कोई बकाया संदत्त नहीं किया जायेगा। संबंधित कार्यालयाध्यक्ष लोकसेवक का पदोन्नति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व उत्पन्न संतानों के संबंध में शपथ–पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर उक्त अधिसूचना अनुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(मुनीश कुमार गर्ग)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख)
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 15(2)2023 गो.प्र./प्रमुवसं–08070/957-960/सं दिनांक : 19-01-2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. उप वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक कार्यालय हाजा को भेजकर लेख है कि यह सुनिश्चित कर ले कि कार्यग्रहण कराने से पूर्व कार्मिक निलम्बित एवं सेवानिवृत्त नहीं हो एवं रिक्ति की दिनांक से पूर्व कोई विभागीय जांच/ए.सी.बी./फौजदारी प्रकरण विचाराधीन हो तो कार्मिक की उपस्थिति स्वीकार नहीं की जावे एवं सूचना अविलम्ब इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।
2. उप वन संरक्षक सूचना एवं प्रौद्योगिकी कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशन करने हेतु।
3. रक्षित पत्रावली/कार्मिक स्ट्रेन्थ कार्यालय हाजा।

(बृज मोहन गुप्ता)
उप वन संरक्षक (अराजपत्रित)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
राजस्थान, जयपुर

RajKaj Ref
5317681

Signature valid
Digitally signed by Munish Kumar Garg
Designation : Principal Chief Conservator Of Forest
Date: 2024.01.1[illegible]:14:17 IST
Reason: Approved